"डॉ. कोमल कोठारी, स्मृति
(लाईफ टाईम अचीवमेंट)
लोक कला पुरस्कार नियम, 2017"

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

बागौर की हवेली, उदयपुर -313001

राजस्थान

प्राक्कथन

डॉ. कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च, 1929 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ इन्होंने अपनी शिक्षा उदयपुर में पाई। इन्होंने राजस्थानी लोक कलाओं, लोक संगीत तथा लोक वाद्ययों के संरक्षण लोक कलाओं की खोज एवं उन्नयन, लोक गीतो व कथाओं का संकलन एवं शोध हेतु पूर्ण रूप से समर्पित हो कर आजीवन कार्य किया।

श्री कोठारी ने सन् 1953 में देश के अग्रणी कहानीकारो में गिने जाने वाले श्री विजयदान देथा के साथ मिलकर **"प्रेरणा"** नामक पत्रिका शुरू की। पत्रिका का उद्देश्य हर महीने एक नया लोक गीत खोजकर उसे लिपिबद्ध करना था। उन्होने 40 वर्षो तक एक जुनून की तरह राजस्थान के लोक संगीत को संरक्षित करने का बीडा उठाया। उनके अथक प्रयासों से सन् 1964 में **"रूपायन"** नामक संस्था की स्थापना की गई। उनके अथक प्रयासों से लंगा मंगणियार संगीत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच प्राप्त हुआ।

उनके अमूल्य योगदान हेतु भारत सरकार ने सन् 1983 मे **पद्म श्री** तथा सन 2004 में **पद्म भूषण** से सम्मानित किया। राजस्थानी साहित्य लोक गीतो/कथाओं के संकलन एवं शोध कार्य हेतु इन्हें नेहरू फैलोशिप भी प्रदान की गई। राजस्थान सरकार ने इन्हें **राजस्थान रत्न** से सम्मानित किया

श्री कोठारी अपने पीछे लोक कलाओं के संरक्षण की एक महत्वपूर्ण परम्परा विरासत के रूप में हमें दे गये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1989 में बनाया गया वृत्तचित्र **"कोमलदा"** के नाम से संरक्षित है।

कोमलदा के लोक कलाओं के प्रति समर्पण को सम्मान देने तथा भविष्य मे ऐसे कार्य के लिये प्रेरणास्रोत के रूप में स्मरण किये जाने के उददेश्य से माननीय अध्यक्ष एवं राज्यपाल महोदय, राजस्थान द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को शिल्पग्राम उत्सव, उदयपुर के उद्घाटन समारोह मे पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से **डॉ. कोमल कोठरी स्मृति (लाईफ टाईम अचीवमेन्ट)** लोक कला पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जायेगा और इसमे पुरस्कार स्वरूप 2 लाख 51 हजार की राशि के साथ रजत पट्टिका प्रदान की जायेगी।

1.पुरस्कार संबंधी नियम

i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम "**डॉ. कोमल कोठारी, स्मृति (लाईफ टाईम अचीवमेंट) लोक कला पुरस्कार नियम, 2017**" है।

ii. यह नियम अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के अनुमोदन उपरान्त प्रभावशाली होंगे।

iii. नियमावली के किसी नियम को, जब जिस प्रकार की आवश्यकता हो, मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से परिवर्तित किया जा सकेगा।

2. पुरस्कार संबंधी विवरण

i. यह पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश – राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं दमन, दीव और दादरा नागर हवेली की लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन व परिवर्धन को बढ़ावा देने एवं उत्तर जीविका को बनाये रखने में अतुल्य योगदान हेतु दिया जायेगा।

ii. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 21 दिसम्बर को शिल्पग्राम उत्सव के उद्घाटन समारोह में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा दिया जायेगा।

iii. पुरस्कार स्वरूप रूपये दो लाख इक्यावन हजार की राशि एवं रजत पट्टिका दी जायेगी।

iv. पुरस्कार ऐसे दो व्यक्तिओं/संस्था/संघ/संघठन में बांटा जा सकता है, जिन्हें पुरस्कार समिति विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती है।

v. व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य पर पुरस्कार देने के लिये विचार नही किया जायेगा, जिसका निधन हो गया है लेकिन, इन नियमों में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पुरस्कार समिति को आवेदन अथवा प्रस्ताव भेजे जाने के उपरान्त यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे मरणोपरान्त पुरस्कार दिया जा सकता है।

3. पुरस्कार के लिये पात्रता

i. यह पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की लोक कलाओं में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था/संघ/संघठन को दिया जा सकता है।

ii. केवल भारतीय व्यक्ति अथवा संस्था/संघ/संघठन पुरस्कार के लिये पात्र होंगे।

iii. संस्था/संघ/संघठन की दशा मे उसका भारत में किसी भी स्थान पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

iv. व्यक्ति की दशा में न्यूनतम आयु 45 वर्ष एवं संस्था/संघ/संघठन की दशा में न्यूनतम पंजीकरण अवधि 10 वर्ष की होनी चहिए।

v. पुरस्कार के लिये कम से कम पिछले 10 वर्षों में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश की लोक कलाओं के सरंक्षण एवं प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान किया जाना अनिवार्य है।

4. पुरस्कार की अवधि

i. पुरस्कार प्रतिवर्ष दिनांक 21 दिसम्बर को शिल्पग्राम के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया जायेगा।

ii. नियत दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के अनुमोदन पश्चात् किया जा सकता है।

iii. प्रथम पुरस्कार वर्ष 2017–18 से आरम्भ किया जायेगा।

iv. यदि प्राप्त आवेदनों/प्रस्तावों में से कोई भी आवेदन/प्रस्ताव सम्मानयोग्य नहीं पाया जाता तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान ना किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

5. पुरस्कार हेतु आवेदन

i. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित करने संबंधी विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों जिनका सभी सदस्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में पर्याप्त प्रसारण है, के माध्यम से मांगवाये जायेगें।

ii. आवेदन हेतु विज्ञापन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

iii. विज्ञापन प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में जारी किया जायेगा।

iv. पुरस्कार समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्राप्त आवेदन के अतिरिक्त किसी भी अन्य नाम पर विचार कर सिफारिश कर सके।

v. निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र प्राप्त नामांकनों की जांच करेंगे और स्पष्टीकरण यदि कोई हो, तो माँगेंगे एवं नामितियों की सूची मय जीवनवृत्त (निर्धारित प्रारूप में) तैयार कर पुरस्कार समिति के समक्ष रखेंगे।

6. पुरस्कार समिति

i. आवेदनों की समीक्षा हेतु अध्यक्ष द्वारा निम्न रूप से पुरस्कार समिति का गठन किया जाएगा :–

- अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा नामित दो स्वतंत्र विशेषज्ञ – **सदस्य**
- अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा कार्यकारी परिषद (Executive Board) एवं शासकीय निकाय (Governing Body) के सदस्यों में से नामित एक–एक सदस्य जिसमें से कम से कम एक सदस्य सेवारत अधिकारी हो – **सदस्य**
- निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र – **पदेन सदस्य सचिव**

ii. पुरस्कार समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाएगी।

iii. पुरस्कार समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष की दिनांक 31 अक्टूबर तक आयोजित कर ली जायेगी।

iv. पुरस्कार समिति तभी अन्तिम निर्णय लेने में सक्षम होगी जब पाँच सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्य बैठक में उपस्थित हो।

v. पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार समिति की चर्चाओं, परिचर्चाओं, अभिमतों और कार्यवाही को ना तो सार्वजानिक तौर पर बताया जायेगा और ना ही उनका खुलासा किया जायेगा।

vi. पुरस्कार समिति के निर्णयों की पुष्टि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी और उनके विरूद्ध कोई अपील अथवा आपत्ति किसी भी न्यायलय में नही की जा सकेगी।

vii. पुरस्कार संबंधी अंतिम निर्णय अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय को समिति की राय/सिफारिश स्वीकृत करने अथवा पुर्न विचार हेतु लौटाने एवं खारिज करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

7. पुरस्कार वितरण

i. पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिनांक 21 दिसम्बर शिल्पग्राम उत्सव के उदघाटन समारोह में प्रदान किया जायेगा।

ii. पुरस्कार राशि का भुगतान पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

iii. व्यक्ति की दशा में समारोह में आने जाने एवं प्रवास अधिकतम दो व्यक्तियों एवं संस्था/संघ/संघठन की दशा मे समारोह में आने जाने एवं प्रवास अधिकतम 02 व्यक्तियों का व्यय पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र द्वारा वहन किया जायेगा।

iv. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार लेने से इन्कार करता है तो वह राशि तुरन्त ही पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को वापिस कर दी जायेगी। लेकिन यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है और अगले 36 माह की अवधि के भीतर उस राशि को आहरित करने में विफल रहता है, तो वह राशि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को वापिस कर दी जायेगी।

v. बिना पुरस्कार प्राप्त किये पुरस्कार प्राप्त कर्ता की मृत्यु होने पर उसके परिजन पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

8. पारदर्शिता एवं गोपनीयता

पुरस्कार के आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जायेगा तथा चयन समिति की सिफारिश लिपिबद्ध की जायेगीं परंतु पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्त कला मर्मज्ञ के मान और सम्मान हेतु अंतिम घोषणा तक चयनित नाम को सभी पक्षों द्वारा गोपनीय रखा जायेगा।